राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3566 दिनांक 03.10.2025

तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

दस्ती

विषयः– तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का किशोरपुरा
विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

मुकदमा नम्बरः– 135 / 2025, निर्णय दिनांकः–29.09.2025

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त उनवानी प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उक्तांकित प्रकरण में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें तथा पालना रिपोर्ट अन्दर मियाद एक माह मे आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

29-9-2025

FORM NO.111

फर्द हुक्म

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का किशोरपुरा

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता धारा 131 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर– 135/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2025 29/09/25	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2587/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 932, 929 930 927 926 923 922, 921, 1168, 1020, 1154 मे से जा रहे प्रचलित रास्ता ग्राम किशोरपुरा की ढाणी बलखण्डी से ढाणी कर्णावता की होते हुए ग्राम टटेरा की सीमा को जोड़ता है तथा उक्त प्रचलित रास्ते मे ग्रेवल सड़क बनी हुई होकर मौके पर चालू होकर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम [illegible] भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कृषक खातेदारान के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान मे से फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का किशोरपुरा संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं क्षमताधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गांवों में कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जमाबन्दी मे रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता ग्राम किशोरपुरा की ढाणी बलखण्डी से ढाणी कर्मावता को होते हुए ग्राम [illegible] की सीमा को जोड़ता है तथा उक्त प्रचलित रास्ते में सड़क [illegible] बनी हुई होकर मौके पर चालू होकर सुचारू रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते व सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मद्देनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं [illegible] भू राजस्व अधिनियम नियम 1957 के नियम [illegible] के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है –

राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 932

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

[signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

0.29 हैक्टर मे से 0.0050 हैक्टर, 929 रकबा 0.91 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर व 930 रकबा 0.28 हैक्टर मे से 0.02 हैक्टर, 927 रकबा 1.70 हैक्टर मे से 0.03 हैक्टर, 926 रकबा 0.26 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर, 923 रकबा 0.99 हैक्टर मे से 0.03 हैक्टर, 922 रकबा 0.02 हैक्टर मे से 0.08 हैक्टर, 921 रकबा 1.55 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर, 1168 रकबा 3.26 हैक्टर मे से 0.14 हैक्टर, 1020 रकबा 0.47 हैक्टर मे से 0.02 हैक्टर, 1154 रकबा 0.14 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बावत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेंगे। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय / अपर / सिविल / राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

3566/शीघ्र
03-10-25

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

श्रा..

द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ... 29.09.2025 को मेरे
29/09/25

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)